International Journal of Humanities and Social Science Research
ISSN: 2455-2070
Impact Factor: RJIF 5.22
www.socialsciencejournal.in
Volume 4; Issue 6; November 2018; Page No. 143-145

भारतीय संसदीय व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी : एक राजनैतिक विश्लेषण

डॉ० महेश मंडल
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट एण्ड साईंस, पटना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटनां, बिहार, भारत।

सारांश
भारत संसदीय एवं संघीय व्यवस्था पर आधारित एक संवैधानिक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, जिसके हृदय में नियमित, स्वतंत्र एवं न्यायसंगत चुनाव के प्रति गहरी निष्ठा है। भारतीय जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर 16 एवं राज्य स्तर पर करीब अढ़ाई सौ से भी अधिक चुनावों के सफल संपादन के द्वारा लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में अपने दृढ़ विश्वास का प्रमाण दिया है। भारतीय संविधान के भाग–1 में उल्लेखित अनुच्छेद 324–329 तक में चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं। चुनाव की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप देने वाले घटकों में निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल एवं मतदाताओं की अहम् भूमिका होती है। उन मतदाताओं में देश की आधी आबादी का खासे महत्व और भागीदारी है।

मूल शब्द : संघीय व्यवस्था, उम्मीदवार, महिला संशक्तिकरण, आरक्षण।

प्रस्तावना
भारत के बीत 63 वर्षों के संसदीय इतिहास में हमारी संसद में महिला सांसदों के संख्या 1952 के प्रथम लोकसभा चुनाव में 22 के मुकाबले 39 बढ़कर 2014 के लोकसभा चुनाव में 61 हो गई है, दूसरे लोकसभा चुनाव में खड़ी होनेवाली महिला उम्मीदवारों में 48. 89 प्रतिशत ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में 45 उम्मीदवारों में से 22 चुनाव जीतने में सफल रही। 1962 के लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या 65 थी। जिसमें से 33 ने विजय प्राप्त किये, जिनका जीत प्रतिशत 46.97 थी। चौथे चुनाव में 43.28 प्रतिशत, पाँचवें चुनाव में 24.49 प्रतिशत तथा छठे चुनाव में 27.14 प्रतिशत महिलाओं ने चुनाव में जीत दर्ज की थी। इन चुनावों में महिला उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः 86 और 70 रही तथा इनमें से विजय प्राप्त करके सांसद बनने वाली महिलाओं की संख्या पुराने आँकड़े के इर्द–गिर्द घुमते हुए क्रमशः 28,21,19 रही। सातवें चुनाव में 19.58 प्रतिशत, आठवें चुनाव में 25.15 प्रतिशत, नौवें चुनाव में 14.64 प्रतिशत, दसवें चुनाव में 11.51 प्रतिशत, 11वें चुनाव में 6.68 प्रतिशत, 12वें चुनाव में 15.69 प्रतिशत, 13वें चुनाव में 17.25 प्रतिशत, 14वें चुनाव में 12.68 प्रतिशत और 15वें लोकसभा चुनाव में खड़े होने वाली महिला प्रत्याशियों में 10.61 प्रतिशत ने जीत दर्ज की। 1980 के सातवें चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या अचानक बढ़कर 142 हो गई किन्तु मात्र 28 को ही विजय हासिल हुए। 1984 में आठवें चुनाव में 131 महिलाओं में से 44 महिलाओं चुनाव जीत पायी। 1989 की नौवें चुनाव में महिलाओं की संख्या घटकर 27 रही गयीं। 1991 के दसवें लोकसभा चुनाव में निर्वाचित महिलाओं की संख्या में कुछ वृद्धि हुई। मगर वह 38 से आगे नहीं बढ़ सकीं। 1996 के आम चुनाव में महिला उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 599 हो गयी। मगर जीत मात्र 40 को हो मिल पायी। 1998 के चुनाव में 274 में से मात्र 43 विजयी हुई। 1999 के चुनाव में 537 महिला उम्मीदवारों में से 52 को विजयश्री प्राप्त हुई। चौंदहवीं लोकसभा चुनाव 2004 के कुल 355 महिलाओं में 48 महिलाएँ लोकसभा पहुँच पाई। वर्ष 2009 के चुनाव में 556 महिला चुनावी समर में उतरी थी और इनमें से 59 जीत दर्ज करने में सफल रही। यदि वृद्धि की रफ्तार यही रही तो 179 के आंकड़े को छूने में करीब ढाई सौ साल लाग जाएंगे और तब तक हम इन मामलों में अन्य देशों से बहुत पीछे खिसक जाएँगे।[1]

मतदाता के रूप में महिलाओं की भागीदारी
1951–52 में सम्पन्न प्रथम लोक सभा चुनाव महिलाओं के लिए एक चुनौती जैसी थी। इसलिए इस चुनाव में महिलाओं ने केवल बड़े नेतृत्व का पिछलग्गू बनकर मतदात में भाग ली या यूं कहे तो कॉंगेस के नेतृत्व में मतदान करना ही एक विकल्प था। द्वितीय आम चुनाव 1957 में भी कुल मिलाकर यहीं प्रवृत्ति दिखाई पड़ी। इस चुनाव में कॉंगेस को भारी जीत का कारण उसके द्वारा जारी कार्यक्रमों में गुट–निरपेक्षता की नीति, धर्म निरपेक्षता की नीति, राज्यों का पुनर्गठन आदि को माना जा सकता है। महिला मतदाओं ने कॉंग्रेस की ही नीतियों में पुनः विश्वास व्यक्त किया। तृतीय आम चुनाव 1962 में भी महिला मतदाताओं की भागीदारी 32.47 प्रतिशत थी, जबकि पुरुष भागीदारी 59.64 प्रतिशत की रही, इस चुनाव में भी जीत कॉंगेस की ही हुई। चतुर्थ लोकसभा चुनाव 1967 में 60.62 प्रतिशत पुरुष के मुकाबले 41.09 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान में भाग लिया। (1967 में 46.6 प्रतिशत से 1999 में 55.6 प्रतिशत) तक वृद्धि दर्ज की गई। कुछ आम चुनावों में तो कुल महिला मतदाता भागीदारी चरम पर ही पहुँच गई (2014 के आम चुनावों में 64 प्रतिशत)। अन्य चुनावों में कुल महिला मतदाता भागीदारी 62 प्रतिशत से 68.4 प्रतिशत के बीच रही है।[2]

स्पष्ट है कि सभी चुनावों में महिला मतदाता भागीदारी पुरुष मतदाता भागीदारी के तुलना में कम ही रही है। तथापि महिला मतदाता भागीदारी की मतदान प्रतिशत में नियमित वृद्धि उनकी संबद्धता को सार्थकता प्रदान करती है।

विगत कुछ वर्षों से लोकसभा चुनाव में आधी आबादी यानि महिला मतदाताओं को लुभाने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहीं। कई राजनीतिक दलों ने महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता कायम

करने, बेहतर सुरक्षा और रोजगार मुहैया करने जैसे वादे जरूर किये लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। हालांकि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे राहुल गाँधी ने अपने भाषण में महिला की सुरक्षा और सशक्तिकरण की बातें की लेकिन इसके लिए कोई ठोस योजना नहीं दी। चुनावों में महिलाओं को उम्मीदवार बनाने में सब कंजूसी कर गये। पिछले चुनावों की तरह इस चुनाव में भी महिला उम्मीदवारों की संख्या काफी कम रही। भाजपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों ने भी उम्मीदवारी में महिलाओं को 10 प्रतिशत से अधिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया। उनमें भी जिन महिलाओं को टिकट दिए गए थे, उनमें या तो वह है जो सालों सांसद रही है और लंबे समय से राजनीति में सक्रिय है या किसी नेता की पत्नी, बेटी या रिश्तेदार है, जिनका राजनीतिक परिवारों से किसी किस्म का ताल्लुक है या फिर वे मशहूर फिल्मी हस्ती है।[3]

लोकसभा चुनाव के इतिहास में महिला उम्मीदवारों की इतनी निराशाजनक तस्वीर और संसद में मात्र सांकेतिक उपस्थिति के पीछे सबसे पहले तो समाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है, वहाँ महिलाओं को दूसरे दर्जे का समझा जाता है और उन्हें घर के कामकाज तथा बच्चे के पालन–पोषण तक ही सीमित रखा जाता है। दूसरी ओर यह धारणा जिम्मेदार है कि राजनीति सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र है। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि महिलाएँ राजनीति नहीं समझती है, वे मतदाता को प्रभावित नहीं कर सकती, चुनाव अभियान के लिए धन या अन्य संसाधन नहीं जुटा सकती और चुनाव नहीं जीत सकतीं। इतना ही नहीं मतदाता भी कई पूर्वाग्रह के शिकार हो जाते हैं। बहुतों को यह लगता है कि राजनीति में महिलाएँ बड़े फैसले लेने में या नीतियाँ बनाने में सक्षम नहीं होंगी। विडंबना यह है कि ये बाते पुरुष उम्मीदवार को चुनने वक्त नहीं देखी जाती।[4]

महिलाओं के प्रति इस मानसिकता को बदलने के लिए शिक्षा व राजनीतिक जागरूकता तो जरूरी है ही, लेकिन सबसे अहम महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना जरूरी है। जिस तरह का रवैया पिछले वर्षों में केंद्र व राज्यों में सक्रिय पार्टियों ने दिखाया है, उसमें यह संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण करके ही संभव हो पाएगा।

ग्रामीण क्षेत्र में इसका एक सफल उदाहरण दिखता है। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत पंचायती और शहरी निकायों में सभी स्तरों पर एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया कई राज्यों में तो गाँवों की पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। यह कदम काफी असरदार साबित हुआ है। इसके चलते महिलाओं का स्थानीय स्वशासन और पंचायतों के कामकाज में योगदान काफी बढ़ा है।[5]

कांग्रेस, भाजपा और वामपंथी पार्टियों ने संसद और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की हिमायत की है। अपने घोषणापत्र में भी उन्होंने इस मुद्दे को प्रमुखता दी है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि ये पार्टियाँ वाकई महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए संजीदा है अगर देश की बड़ी पार्टियाँ इस मुद्दे को गंभीरता से लेती तो इस चुनाव में किसी कानूनी बाध्यता का इंतजार किए बिना ज्यादा महिलाओं को टिकट दे सकती थीं और मिशाल कायम कर सकती थीं।[6]

सत्ता और विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने और लोकसभा व विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण की चाहे जितनी वकालत करें, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क नजर आता है। महिलाओं के सशक्तिकरण तथा बराबरी की बात करने वाले दलों की असलियत टिकट वितरण के समय सामने आ जाती है। यह भी देखने को मिलता है की प्रमुख महिला प्रत्याशी के खिलाफ अक्सर महिला को ही मैदान में उतारते हैं। ऐसे में दोनों उम्मीदवारों में से एक ही महिला उम्मीदवार चुनाव जीत पाती है। इस तरह बहुत सी प्रतिभावान महिला उम्मीदवार संसद या विधानसभा पहुँचने से वचित रह जाती है।[7]

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अति पिछड़े देशों की संसदों में महिलाओं की हिस्सेदारी की बात करे तो वहाँ भारत से कहीं ज्यादा है। विश्व भर की संसदों में महिलाओं की संख्या के आधार पर हुए सर्वे में भारत 103वें स्थान पर है[8] जबकि चीन 53वें, पाकिस्तान 64वें, इंग्लैंड 56वें, नेपाल 35वें अफगानिस्तान 39वें तथा अमेरिका 72वें स्थान पर है। बांग्लादेश में हर 5 में से एक संसद महिला है। यहाँ तक कि सीरिया, रवांडा, नाइजीरिया और सोमालिया आदि देशों की संसदों में भी महिलाओं की हिस्सेदारी भारत से ज्यादा है।[9] फिलहाल भारतीय संसद के दोनों सदनों में 12 प्रतिशत महिलाएँ (96) हैं। नेपाल की संसद में कुल 176 सीट हैं और वहाँ हर तीसरी सीट पर महिला सांसद विराजमान है। अफगानिस्तान के दोनों सदनों में कुल 28 प्रतिशत महिला (97) सांसद है। जबकि चीन के निचले सदन में कुल 699 सांसदों में 24 प्रतिशत महिलाएँ हैं। पाकिस्तान में 84 महिलाएँ सांसद है। इनमें से 21 प्रतिशत निचले और 17 प्रतिशत उच्च सदन में है। इंग्लैंड के हाउस और कॉमंस और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्रमशः 21 और 24 प्रतिशत है। अमेरिका के निचले सदन में 20 प्रतिशत, जबकि उच्च सदन में केवल 20 सांसद है। सबसे खराब स्थिति वनुआतू की जहाँ संसद में एक भी महिला नहीं है।[10]

निष्कर्ष

आज के बदलते भारतीय परिवेश में महिलाओं की सामाजिक राजनीतिक स्थिति विरोधाभासों से भरी हुई होने के बावजूद स्वतंत्र भारत में महिला सशक्तिकरण को राजनीतिक पोषण सुलभ हुआ है, जिसके फलस्वरूप राजनीतिक क्षितिज पर महिलाओं की भूमिका में सकारात्मक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर महिला मतदाता पहले से अधिक सक्रिय हुई हैं, यह विभिन्न चुनाव एजेन्सियों के सर्वेक्षण रिर्पोटों से जाहिर होता है। महिला पूर्व की अपेक्षा अधिक राजनीतिक समझ का परिचय विभिन्न चुनावों के दौरान प्रस्तुत की हैं। 1984, 2009 एवं 2014 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। राजनीतिक व्यवस्था में आया यह परिवर्तन महज पुरुष मतदाताओं के बल पर संभव नहीं था। 'आधी आबादी' के योगदान के बिना इतना बड़ा परिवर्तन कदापि संभव नहीं था और यह महिलाओं की बदलती सकारात्मक मतदान प्रवृति एवं राजनीतिक सहभागिता का परिचायक है।

संदर्भ सूची

1. लोकसभा इलेक्शन, 'द इलेक्टोरल वर्डिक्ट इन बिहार', दि इकोनोमिक पॉलिटिकल विकली, सितम्बर 2014.

2. सुथी, गोरीपट्टी एण्ड कुमार राजेश, 'इंडिया सेट इन चैलेंज यू. एस.ए. फॉर इलेक्शन–स्पेंडिग रिकॉर्ड' रिर्टस, मार्च 2014.
3. देशपाण्डेय राजेश्वरी, वोमेन्स वोट इन 2014, द हिन्दु, 26 जून 2014, पृ॰ 10–11.
4. मंगलानी, रूपाः 'भारतीय शासन एवं राजनीति', हिन्दी ग्रथ अकादमी, जयपुर, 2005, पृ॰ 68.
5. माइरन वीनर, स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया, प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी, 2014.
6. कोठारी, रजनी : 'कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स', ओरियेन्ट लॉगमैन एल॰टी॰डी॰, 2014.
7. नवभारत टाइम्स, 5 मार्च, 2014.
8. दैनिक भास्कर, 24 अप्रैल, 2014.
9. आजतक, 16 मई, 2014.
10. दैनिक हिन्दुस्तान, पटना 16 मई, 2014